जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) /4386 / 2021 दिनांकः 07अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या (बी0एड0)
सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः बी0एड0 चतुर्थ सेमेस्टर अनिवार्य पाठ्यक्रम योगा–प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. बी0एड0 चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2020–21 के अनिवार्य पाठ्यक्रम योग हेतु प्रशिक्षण शिविर पाँच दिवसीय होगा।
2. योग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक विश्वविद्यालय समन्वयक, रोवर्स / रेंजर्स के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. योग प्रशिक्षण शिविर 2.15 घंटे का होगा। शिविर दो सत्रों में आयोजित किया जा सकता है– प्रातः 07 से 09:15 बजे तक अथवा सायं 03 से 05:15 बजे तक।
4. प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांकः 08.04.2021 से 29.04.2021 के मध्य किया जाना है।
5. प्रशिक्षक को महाविद्यालय तक ले जाने एवं वापस उनके स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।
6. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. प्रशिक्षुओं के लिये प्रमाण–पत्र की व्यवस्था स्वयं महाविद्यालय के द्वारा की जायेगी। प्रमाण–पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. केवल वास्तविक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किये प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। वास्तविक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की हस्ताक्षर युक्त सूची प्रशिक्षक अपनी आख्या के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
9. प्रशिक्षुओं के वास्तविक संख्या का सत्यापन / प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण समन्वयक अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के द्वारां के द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण अधिकारी अपनी आख्या विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
10. निरीक्षक के मार्ग व्यय का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
11. योगा प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षु के पास छोटी दरी / चादर अनिवार्य रूप से होना चाहिये तथा दो प्रशिक्षुओं के मध्य पर्याप्त दूरी होनी चाहिये, जिससे सुगमतापूर्वक योगाभ्यास सम्पन्न हो सके।
12. प्रशिक्षण स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था महाविद्यालय के द्वारा की जायेगी तथा प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं के समक्ष योगाभ्यास के प्रदर्शन के लिये एक छोटा स्टेज होना चाहिये जिससे सभी प्रक्षिशु प्रशिक्षक का अनुसरण कर सकें।
13. प्रत्येक महाविद्यालय के पंजीकृत सभी छात्र / छात्राओं के लिये प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र / छात्रा अनुपस्थित रहता है तो उसका पाठ्यक्रम अपूर्ण माना जायेगा तथा विश्वविद्यालय उनके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।
14. प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। विशेष स्थिति में गम्भीर बीमारी की स्थिति में मात्र एक दिन का अवकाश, मेडिकल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

कृपया उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित अवधि के अंदर प्रशिक्षण सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

समन्वयक, रोवर्स / रेंजर्स

07/4/2021
उप कुलसचिव (प्रशासनिक)
कृतै कुलसचिव

Scanned with CamScanner